हैनी बनाम सोहनी

मिसल नं. 183 | प्र.सं. 58/2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 10/2/21<br>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टाईप करवाया जाकर सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। निर्णय आज दिनांक 10/2/21 को खुली अदालत में सुनाया गया।<br><br>सहायक कलेक्टर<br>{S.D.O.} बदनोर<br>जिला-भीलवाड़ा | कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा) |

# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), बदनोर

**बईजलास श्री घनश्याम शर्मा (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण सं.– 58/2017**

**उनवान**

1– देबी पिता हजारी जाति बलाई निवासी परा ।
2– अम्बा पिता हजारी जाति बलाई निवासी परा।
3– रामचन्द्र पिता हजारी जाति बलाई निवासी परा।
4– मांगी देवी पत्नी हजारी जाति बलाई निवासी परा तहसील बदनोर।

–वादीगण

**बनाम**

1– सोहनी देवी पत्नी नारायण जाति बलाई नि0 परा।
2– सांवर पिता नारायण जाति बलाई निवासी परा तहसील बदनोर।
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बदनोर।

–प्रतिवादीगण

**उपस्थित :–** श्री दौलत राज नागौड़ा, वकील वादीगण

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)

**वाद पत्र अर्न्तगत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट**

**–:निर्णय:–**

**दिनांक– 10.02.2021**

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाडा

1– वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात वाके ग्राम परा पटवार हल्का परा तहसील बदनोर की सरहद में स्थित होकर खाता संख्या 243 के आराजी नम्बर 582 रकबा 0.07 हैक्टेयर, आ0नं0 587 रकबा 0.37 हैक्टेयर, आ0नं0 588 रकबा 0. 03 हैक्टेयर, आ0नं0 589 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आ0नं0 590 रकबा 0.18 हैक्टेयर, आ0नं0 591 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आ0नं0 592 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आ0नं0 593 रकबा 0.31 हैक्टेयर,

आ0नं0 747 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आ0नं0 1933 रकबा 0.75 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 2.68 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है।

2— इसी प्रकार खाता संख्या 242 के आराजी नम्बर 3037/1934 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि वादीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है।

3— वादीगण ने खाता संख्या 243 व 242 की भूमि की पत्थरगढ़ी न्यायालय सहायक कलक्टर आसीन्द के प्रकरण संख्या 99/2013 द्वारा पत्थरगढ़ी करवायी गयी तब मौका पर्चा दिनांक 20.12.2016 को बनाया गया जिसमें वादीगण की खातेदारी आराजीयात की पत्थगढ़ी करके सीमा पर पत्थर गढ़वाये गये। पत्थरगढ़ी के आदेश में आराजी नम्बर 3037/1934 रकबा 0.19 हैक्टेयर पर प्रतिवादी सोहनी पत्नी नारायण बलाई ने कब्जा किया हुआ जिसको मौके पर्चे में दर्शाते हुए पत्थरगढ़ी की गई।

4— वादीगण की खातेदारी आराजीयात पर प्रतिवादीगण ने अवैध तरीके से कब्जा किया जिन्हें हटाने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना कर दिया और मारपीट करने पर आमादा हुए तथा कहा की जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेंगे चाहे मारेंगे या मरेंगे। वादीगण की खातेदारी भूमि पर गैर कानूनी ढ़ंग से जबरन कब्जा कर लिया जिसको वादीगण अपने खातेदारी भूमि से कानूनी अधिकार के तहत प्रतिवादीगण को बेदखल करने का अधिकार प्राप्त होने से बेदखल किया जाना न्याय संगत है।

5— अन्त में अंकित किया गया कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी पारित फरमायी जावें की वादपत्र की कलम नम्बर 01 व 02 में वर्णित आराजी नम्बर 3037/1934 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी के कब्जे को बेदखल कर वादीगण को दिलाये जाने की डिकी पारित फरमायी जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें की भविष्य में वादीगण की खातेदारी आराजीयात में अवैध रूप से जबरन कब्जा न तो स्वयं करें और न ही अन्य से करावें।

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाडा

6— प्रस्तुत वाद पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 19.06.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से पेरोकारराज उपस्थित हुये जिनके द्वारा प्रकरण में कोई राजहित प्रभावित नहीं होने से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया।

7— चूंकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण में तनकी पर्चा मुर्तिब नहीं किया गया। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र की ताहिद में पीडब्लु—1 अम्बा लाल के साक्ष्य स्वरुप शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श—1 जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074, प्रदर्श—2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श—3 जमाबन्दी संवत् 2072 से 2074, प्रदर्श—4 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श—5 पत्थरगढी का मौका पर्चा को प्रदर्श करवाया गया। अन्य कोई गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने से साक्ष्य वादी स्टेज बन्द की गई। प्रतिवादी सं0 03 के पेरोकारराज ने भी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

8— ततपश्चात वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। वादीगण के द्वारा अपने खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने पर यह ज्ञात हुआ की प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण की आराजीयात नम्बर 3037/1934 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अन्त में कथन किया की वादीगण की आराजीयात से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाया जाकर प्रतिवादीगण को सिपूर्द करवाये जाने के आदेश फरमाये जावें।

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाडा

9— मेने वकील वादी की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया विवेचन निम्न प्रकार से रहा है—

10— वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श—1 जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 मौजा परा तहसील बदनोर के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 582, 587, 588,

589, 590, 591, 592, 593, 747, 1933 किता 10 रकबा 2.68 हैक्टेयर भूमि देबी, अम्बा, रामचन्द्र पिता हजारी, मांगी बेवा हजारी बलाई सा0देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना तथा प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 मौजा परा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नं0 3037/1934 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि देबी, अम्बा, रामचन्द्र पिता हजारी बलाई सा0देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है।

11– यहॉ वादीगण का कथन है कि उनकी आराजीयात की पत्थरगढी करवायी गयी जिसमें यह पाया गया कि आराजी नम्बर 3037/1934 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा कब्जा कर रखा है। अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा प्रदर्श 05 मौका पर्चा दिनांक 20.12.2016 को प्रदर्श करवाया गया। मौका पर्चा दिनांक 20.12.2016 का अवलोकन किया गया। मौका पर्चा अनुसार गिरदावर व पटवारी हल्का परा के द्वारा वादग्रस्त आराजी मौजा परा की आराजी नम्बर 582, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 747, 1933 किता 10 रकबा 2.68 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 3037/1934 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की गयी। उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 3037/1934 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि पर सोहनी पत्नी नारायण बलाई निवासी परा का कब्जा होना प्रकट आया है। चुंकि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी की आराजीयात है जिसमें प्रतिवादी सोहनी देवी का कोई हक अधिकार हो ऐसा कोई साक्ष्य प्रतिवादी के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 3037/1934 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी सोहनी पत्नी नारायण बलाई के द्वारा नाजायज कब्जा कर अतिकमी की हसीयत से काबिज है। ऐसी स्थिति में दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
{S.D.O.} बदनोर
जिला-भीलवाडा

**–::निर्णय::–**

दावा वादी डिकी किया जाकर मौजा परा तहसील बदनोर की आराजी नम्बर 3037/1934 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 01

सोहनी देवी पत्नी नारायण बलाई को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सिपूर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण की आराजीयात में कब्जा करने कराने से रूके रहें। तदनुसार डिकी पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
सहायक कलेक्टर
{S.D.O.}बदनोर
जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बदनोर (भीलवाड़ा)